केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर
कृषि निदेशालय, कृषि भवन तालाब तिल्लो, जम्मू
ई–मेल : diragrijammu-jk@jk.gov.in
दूरभाष : 2505201 / फैक्स : 2552145

KISAN ADVISORY

कोविड –19 के कारण लाकडाउन (बन्दी) अवधि के दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) ने कृषि क्षेत्र में कोविड –19 के कारण लाकडाउन (बन्दी) के चलते किसानों और कृषि कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ICAR द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों और सावधानियों का पालन करते हुए किसान सुरक्षित रहकर कृषि कार्य जैसे फसल की कटाई, कटाई उपरान्त कार्य , भंडारण और कृषि उत्पादों विपणन के साथ–साथ खड़ी फसलों में समयबद्व कृषि कार्य कर सकते हैं। फसलों की कटाई, कटाई उपरान्त कार्य , भंडारण और कृषि उत्पादों के विपणन में की जानेवाली निर्धारित सावधानियां और सुरक्षा उपाय :

निर्धारित सावधानियां और सुरक्षा उपाय :

समाजिक........... दुरी बनाए रखें

- साधारण उपायों में मंड़ियों में आदानों को लेते य उत्पादों को बेचते हुए "समाजिक दुरी " बनाए रखना अति आवश्यक है।
- जहां तक संभव हो स्वस्त एवं परिचित व्यक्तिओं / श्रमिकों को ही कार्य मैं लगाएं और आवश्यक पूछ ताछ के बाद ही लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान किसी भी संदिग्ध या विषाणुवाहक के प्रवेश से बचा जा सके।
- कार्यरत सभी व्यक्तिओं को मास्क का उपयोग करना चाहिए और समुचित अंतराल पर हाथ धोना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- आराम के दौरान, खाना खाते समय, उत्पाद के संग्रहण केंद्र पर परिवहन के समय, उतारते / चढ़ाते समय 3 – 4 फुट की सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
- जहां कटाई / चुनाई पर कार्य हाथों से हो रहा हो वहां काम को 4–5 फीट चौड़ाई की पट्टियों में किया जाना चाहिए और एक पट्टी में एक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए इससे कार्यरत श्रमिकों में समुचित दूरी बनी रहेगी ।
- जहां तक संभव हो कृषि कार्य समय अंतराल से करें और एक ही दिन में बहुत सारे लोगों को काम में लगने से बचें ।
- जहां भी व्यवहार्य हो वहां मशीनों से कटाई को प्रथमिकता दें । मशीन के साथ केवल जरूरी संख्या में आवश्यक व्यक्तिओं को ही अनुमति दें।
- सभी मशीनों को प्रवेश द्वार और नियमित अंतराल पर सेनीटाइज (अच्छी तरह से सफाई), परिवहन वाहनों जूट बोरों या अन्य पैकेजिंग सामान को भी सेनीटाइज किया जाना चाहिए।
- उत्पाद का संग्रहण 3 – 4 फुट की दूरी पर छोटी ढेरियों में किया जा सकता है और खेत स्तर पर प्रसंस्करण को प्रति ढ़ेरी 1–2 व्यक्तिओं को दिया जाना चाहिए जिस से भीड़ से बचा जा सके ।
- अगर खेत स्तर पर उत्पाद का भंडारण मुमकिन हो तो तुरंत मंडियों में भागने से बचना चाहिए।

जारीकर्ता : सूचना एवं प्रसारण अनुभाग , कृषि निदेशालय, जम्मू